छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन-''बिहान''
दीनदयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY)
परियोजना अनुमोदन समिति (PAC) की 32वीं बैठक दिनांक 22.08.2025

-: कार्यवाही विवरण:-

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY) अंतर्गत प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी (PAC) की 32वीं बैठक दिनांक 22.08.2025 को श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें समिति के सभी सदस्य उपस्थित हुए | सूचि परिशिष्ट-अ में संलग्न है।

<u>एजेण्डावार कार्यवाही विवरण निम्नानुसार हैः-</u>

<u>एजेंण्डा क्रमांक 01</u> – परियोजना अनुमोदन समिति की 31वीं बैठक दिनांक 30.04.2025 का पालन प्रतिवेदन-पालन प्रतिवेदन से समिति के सदस्यों को बिन्दुवार अवगत कराया गया। सभी सदस्य सहमत हुये। बिन्दु क्रमांक 7 के परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिए गएः-

- PIA Sam Skills Development and IT Solutions Pvt Ltd के Assessment Waive-off निवेदन के संबंध में MoRD द्वारा Assessment के संबंध में बैठक दिनांक 16-17 मई २०२४ का कार्यवाही विवरण के परिपालन में प्रकरण परियोजना अनुमोदन समिति की बैठक में प्रस्तुत किया गया| समिति द्वारा चर्चा उपरांत SOP में Assessment Waive-off किये जाने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है अतः Kaushal Bharat portal मे उपलब्ध जानकारी के आधार पर परियोजना समाप्ति की कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया |उक्त के संबंध में speaking order प्रेषित कर प्रति MoRD से साझा किया जावे|

<u>एजेंण्डा क्रमांक 02</u> – <u>नोटिफिकेशन क्र. 01/2025 के संदर्भ में PIA shahi Exports Pvt. Ltd. (Captive Employer) के संबंध में निर्णय:-</u> परियोजना अनुमोदन की 31वीं बैठक दिनांक 30.04.2025 में लिए गए निर्णय अनुसार Captive Employer परियोजना को दिनांक 31.03.2025 के उपरांत प्रशिक्षण प्रारंभ करने हेतु दिशा-निर्देशों बाबत MoRD को पत्र लेख किए जाने एवं 15 दिवस में उत्तर अप्राप्त होने या स्वीकृति नहीं मिलने पर नोटिफिकेशन क्र. 01/2025 अनुसार लिया गया निर्णय मान्य कर PIA का लक्ष्य Right size किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था |उक्त तारतम्य में दिनांक 15.05.2025 को MoRD को पत्र लेख किया गया था, जिसका उत्तर नियत अवधि (15 दिवस) में अप्राप्त रहा| अतः PIA के लक्ष्य को 500 से घटाकर 50 (दिनांक 31.03.2025 तक प्रशिक्षण प्रारंभ) किये जाने का निर्णय लिया गया|

<u>एजेंण्डा क्रमांक 03</u> <u>-पी.ए.सी की 31वीं बैठक में प्रोजेक्ट पैरामीटर परिवर्तन की सशर्त स्वीकृति प्रदान किए गए PIAs द्वारा शर्त पूर्ण करने अथवा नही करने पर आगामी कार्यवाही का निर्णय:-</u>

3.1 Mahanadi Education Society (P3) – PIA द्वारा 30 दिवस के भीतर कौशल भारत पोर्टल मे B1 tracking का कार्य पूर्ण कर दिया गया था, किन्तु तकनीकी समस्याओं के कारण उक्त

जानकारी SRLM के लॉगिन मे प्रदर्शित नहीं हो रही थी | इस हेतु पोर्टल मे Ticket raise किया गया था, जिसके समाधान उपरांत पोर्टल मे जानकारी प्रदर्शित होने लगी | PIA को तकनीकी समस्या के कारण कौशल भारत पोर्टल में 50% B1 Tracking एक माह के भीतर करने में विलंब हुआ | अतः समिति द्वारा PIA को 50% B1 Tracking में ३० दिवस से अधिक हुए विलंब में छूट दिए जाने का निर्णय लिया गया|

3.2 Motion Education Private Limited – समिति द्वारा PIA के सम्बन्ध में 31वी PAC में लिए गए के निर्णय को यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया| PIA को पत्र प्रेषित कर 15 दिवस में परियोजना समाप्ति हेतु समस्त दस्तावेज जमा करने हेतु निर्देशित किया जावे|

<u>एजेंण्डा क्रमांक 04</u> <u>- DDU-GKY योजना अंतर्गत कराए जा रहे</u> **<u>Bank Verification/Employer Verification</u>** <u>में प्राप्त प्रत्युत्तर के आधार पर आगामी कार्यवाही का निर्णय:-</u> समिति द्वारा तथ्यों पर चर्चा अनुसार Bank Verification/Employer Verification के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

- Bank Verification/ Employer Verification एवं Physical Verification के परिणामों में भिन्नता की स्थिति में Bank Verification से प्राप्त उत्तर के आधार (from official mail id) पर उमीदवार के Placed / Not Placed होने का अंतिम निर्णय लिया जावे|
- किशत अथवा परियोजना समाप्ति के आगामी प्रकरणों मे संपूर्ण Salary Verification Data में से 10% सैंपल Random आधार पर निकालकर Bank Statement Verification कराए जाने का निर्णय लिया गया |

1. चतुर्थ किशत हेतु आवेदन प्राप्त होने कि स्थिति में - द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ के समस्त Salary Verification Data में से 10% Random सैंपल निकाला जावेगा, यदि पूर्व में किसी भी स्तर पर bank Verification नहीं किया गया है| यह प्रक्रिया तृतीय/द्वितीय किशत के आवेदनों पर भी लागू होगी|
2. किसी भी किशत के समय Bank Verification की प्रक्रिया पूर्ण होने पर आगामी किशत के Bank Verification हेतु 10% sample उसी किशत के lot में से निकाले जावेंगे|

- ऐसे PIA जिनके 50% (बैंक को भेजे गए सैंपल में से) या उससे अधिक उम्मीदवारों के Bank Statement Verification एवं physical Verification के परिणामों में भिन्नता पाई गई है, उनकी संबंधित किशत के Salary Verification Data में से 10% सैंपल Random आधार पर निकालकर पुनः Bank Statement Verification कराए जाने का निर्णय लिया गया| उक्त कार्यवाही 15 दिवस में पूर्ण कराई जावे|
- PAC की 31वी बैठक के निर्णय के तारतम्य में Bank Statement Verification एवं physical Verification के परिणामों में भिन्नता होने पर PIA को सुनवाई का अवसर दिए जाने के निर्देश दिए गए थे, इस हेतु PIA को लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु कार्यालय से पत्र

जारी किये गए थे| जिन PIA द्वारा उक्त के परिपालन में उत्तर नहीं दिया गया है उनको ईमेल के माध्यम से 7 दिवस के भीतर उत्तर दिए जाने हेतु निर्देशित किया जावे| नियत अवधि में उत्तर अप्राप्त होने पर नियमानुसार default की कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया|

- बैंक से सत्यापन संबंधी उत्तर अप्राप्त होने की स्थिति में उच्च स्तर पर प्रकरण को escalate किये जाने हेतु पत्र लेख किया जावे|

एजेंण्डा क्रमांक 05 – ब्याज की गणना की अवधि के संबंध में निर्णय:-

PIA Centum Workskills India Ltd. को वसूली संबंधी सूचना विलंब से प्रेषित किए जाने के संबंध मे कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जावे | PIA से प्राप्त पत्र जिसमे उनके द्वारा राशि जारी किये जाने की तिथि से फरवरी, 2018 तक की ब्याज राशि भुगतान किए जाने की सहमती दी गई है के आधार पर ब्याज कार्यालय में जमा किये जाने हेतु निर्देशार्थ PIA को पत्र लेख किया जावे| परियोजना YP State के समय स्वीकृत की गई थी, अत: प्रकरण का Audit CTSA से कराया जाये, CTSA द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार फरवरी 2018 के पश्चात की ब्याज की राशि में छूट के संबंध में आगामी निर्णय लिया जावेगा |

एजेंण्डा क्रमांक 06 – PIA Shiv Pratisthan (P2) को पेनाल्टी निर्धारण के संबंध में निर्णय: - PIA द्वारा फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना डिफ़ॉल्ट के श्रेणी मे आता है, जो की मेजर पेनल्टी का आधार बनता है अत: Notification no. 08/2020 के आधार पर Total Project Cost की 10% penalty अधिरोपित किए जाने का निर्णय लिया गया | मिशन संचालक द्वारा प्रकरण मे मेजर पेनल्टी अधिरोपित किये जाने के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण की जावे|

एजेंण्डा क्रमांक 07 -Assessment Write-off के संबंध में निर्णय: - राज्य मे विभिन्न कारणों से उम्मीदवारों के लंबित Assessment जो की पूर्ण नहीं किए जा सकते, के परियोजना समाप्ति के समय Standard Training Cost एवं Assessment Cost काटकर अंतिम समायोजन किया जावे | लंबित Assessment की विस्तृत जानकारी MoRD को प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया |

एजेंण्डा क्रमांक 08 –परियोजनाओं के निरस्तीकरण (Termination & Blacklisting) के संबंध में निर्णय:- PIA Heavy Technologies Pvt. Ltd. को स्वीकृत परियोजना अंतर्गत प्रगति संतोषजनक नहीं होने के कारण PIA को Terminate कर Blacklist कर राशि वसूली किए जाने का निर्णय लिया गया | उक्त के पूर्व ततसंबंध में नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करने हेतु मिशन संचालक को निर्देशित किया गया|

एजेंण्डा क्रमांक 09 – PIA Shree Krishna Industrial Pvt Ltd. को चतुर्थ किश्त के मूल्यांकन के आधार पर किश्त की शेष 2% राशि जारी किए जाने के संबंध में निर्णय:- PIA Shree Krishna Industrial Pvt Ltd को चतुर्थ किश्त के मूल्यांकन के आधार पर किश्त की शेष 2 % राशि रू.8,46,984/- जारी किए जाने का निर्णय लिया गया | पूर्व के shortfall की पूर्ति के मूल्यांकन के

संबंध में कौशल भारत पोर्टल पर Module नहीं होने के कारण तृतीय किश्त की अतिरिक्त राशि रू. 26,85,577/- के संबंध में गणना संभव नहीं है अतः भुगतान नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया|

<u>एजेंण्डा क्रमांक 10</u> - अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य मुद्दों पर चर्चा:-

प्रकरण :- Blacklisting की अवधि बढ़ाए जाने के संबंध मे निर्णय हेतु |

निर्णय :- Blacklisting अवधि की समाप्ति के उपरांत यदि वसूली की कार्यवाही लंबित होती है, ऐसी स्थिति मे PIA को अन्य परियोजना स्वीकृत नहीं की जावेगी | जिन PIA से वसूली लंबित है उनकी Blacklisting अवधि मे वृद्धि के संबंध मे MoRD को पत्र लेख किया जावे | वैधानिक कार्यवाही के संबंध मे Legal Opinion लेकर जिन PIA की Blacklisting अवधि समाप्त हो गई है उनको लंबित वसूली के संबध में पत्र लेख किया जावे|

अंत में उपरोक्तानुसार कार्यवाही/निर्णय लेते हुये धन्यवाद ज्ञापन के साथ पूर्वान्ह: 02:00 बजे बैठक समाप्त की गई।

(अध्यक्ष, **PAC** द्वारा अनुमोदित)

Digitally signed by
ASHWANI DEWANGAN
Date: 29-08-2025
17:50:36

अश्वनी देवांगन (IAS)
मिशन संचालक, (सदस्य-सचिव)
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन,
विकास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

<u>परियोजना अनुमोदन समिति की 32 वीं बैठक दिनांक 22.08.2025 में</u>

<u>उपस्थित सदस्य</u>

<u>परिशिष्ट-अ</u>

क्र.	नाम	पदनाम
1	श्रीमति निहारिका बारिक सिंह	अध्यक्ष/प्रमुख सचिव, पं.ग्रा.वि.वि, छत्तीसगढ़ शासन
2	अश्वनी देवांगन(IAS)	सदस्य सचिव / मिशन संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
3	डॉ. ए. के. सिंह	अपर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग
4	श्री अरविन्द कुमार अहिरवार	अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
5	श्री गोपाल सामंतो	सदस्य, विषय विशेषज्ञ
6	श्री संजय बिलथरे (सी.ए.)	सदस्य, उद्योग एवं व्यापार से संबंधित संगठन